राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 744/2011/बीकानेर.

मैसर्स पार्श्वनाथ आईसक्रीम एण्ड कोल्ड ड्रिंक हाउस,
अम्बेडकर सर्किल, बीकानेर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत–बी, वार्ड–II, बीकानेर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13/10/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 207/आरवैट/बीका./2008–09 में पारित किये गये आदेश दिनांक 06.09.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत–बी, बीकानेर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 75(8) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 07.07.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 28.04.2008 को किया गया था। सर्वेक्षण के दौरान अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल पर एक कोल्ड स्टोरेज की कुल 78 किराये की पर्चियां पायी गयी थी, जिसमें अपीलार्थी फर्म का माल कोल्ड स्टोरेज में रखे जाने के एवज में लिये गये किराये का हिसाब अंकित था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी फर्म के यहां पायी गयी पर्चियों के सम्बन्ध में कोल्ड स्टोरेज के व्यवसायी से भी जांच की गयी तब कोल्ड स्टोरेज पर 30 किग्रा. इलायची व 453 किग्रा. काजू (40 टिन) अपीलार्थी से सम्बन्धित पाये गये परन्तु अपीलार्थी ने इसे जोधपुर के नाम से कोल्ड स्टोरेज में रखा जाना पाया गया क्योंकि व्यवसायी के यहां पर जो पर्चियां प्राप्त हुई थी उसमें भी इसी तरह जोधपुर अंकित किया हुआ था। इन तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के बाद एवं लेखा–पुस्तकों की जांच के पश्चात् यह पाया गया कि

लगातार.....2

व्यवसायी द्वारा विवादित माल के किराये का भुगतान किया गया था परन्तु 44 टिन काजू का जमाखर्च नियमित लेखा–पुस्तकों में अंकित दिनांक 15.04.2008 एवं उसके आगे पीछे की दिनांकों में भी नहीं पाया गया। इस तरह अपीलार्थी फर्म के स्टॉक में काजू 40 टिन तथा इलायची 30 किग्रा. कुल रूपये 1,30,000/– का जमाखर्च नहीं होना प्रमाणित मानकर एवं करापवंचन के उद्देश्य से माल भौतिक रूप से रखा पाया जाने पर उस माल की कीमत रूपये 1,30,000/– पर अधिनियम की धारा 75(8) के तहत रूपये 26,000/– की शास्ति आरोपित की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जाने पर उनके द्वारा अपील अस्वीकार कर रूपये 26,000/– की शास्ति को यथावत रखा गया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा व्यवसायी के सर्वेक्षण में दो गवाहों की उपस्थिति नहीं होने एवं तृतीय पक्ष के यहां पर जांच के आधार पर शास्ति आरोपित किया जाना एवं काजू एवं इलायची के बारे में प्रस्तुत बिलों को अस्वीकार किया जाना अविधिक बताते हुए कर निर्धारण आदेश को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

4. विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि सर्वेक्षण में केवल पर्चियां पायी गयी थी जिसका सत्यापन भी कराया गया था तथा सर्वेक्षण भी दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में किया गया था एवं जो माल पर्चियों में अंकित किया हुआ था उसकी जांच पारीक कोल्ड स्टोरेज, बीकानेर से प्रतिसत्यापन के रूप में की गयी थी एवं पर्चियों में लिखा गया माल 40 टिन काजू तथा 30 किग्रा. इलायची का वर्ष 2008–09 की लेखा–पुस्तकों में जमाखर्च नहीं था। ऐसी स्थिति में माल के जमाखर्च नहीं होने एवं भौतिक रूप से पाये गये माल पर अधिनियम की धारा 75(8) के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी थी अतः अपीलीय आदेश की पुष्टि करने का अनुरोध किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. उक्त प्रकरण में यह प्रमाणित था कि मैसर्स पारीक कोल्ड स्टोरेज बीकानेर के यहां पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा 40 टिन काजू तथा 30 किग्रा. इलायची भौतिक रूप से रखी गयी थी एवं माल अपीलार्थी का होने सम्बन्धी प्रमाण इनके व्यवसाय स्थल पर पायी गयी पर्चियों से हो रहा था और उसी क्रम में जांच अधिकारी द्वारा पारीक कोल्ड स्टोरेज से प्रति सत्यापन किया गया एवं

लगातार.....3

अपीलार्थी की बहियात की जांच की गई तब यह प्रमाणित हुआ कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा 40 टिन काजू तथा 30 किग्रा. इलायची का जमाखर्च बहियात में नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में यह माल बहियात में जमाखर्च नहीं करने से अधिनियम की धारा 75(8) के तहत शास्ति योग्य पाया गया था। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा जो बिल पेश किये गये थे वह किसी अन्य फर्म से सम्बन्धित थे जबकि पारीक कोल्ड स्टोरेज पर "जोधपुर" नाम के मार्का से माल को उचन्ती रूप से रखा जाना प्रमाणित हुआ था। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। प्रकरण में मेरे समक्ष भी ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया है जो विवादित माल को नियमित बहियात में लेखांकित किये जाने को प्रमाणित कर सके। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा किये गये निर्णय में कोई त्रुटि नहीं होने से उसकी पुष्टि की जाती है एवं अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य